ب س	16		<u> कोट / Rajkot – 360 001</u>	bad सत्यमेव
ب س		ele Fax No. 0281 – 2477	952/2441142Email: cexappeals	rajkot@gmail.com
	<u>र्ड डाक ए.डी.द्वारा</u> :- अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No. V2/30/GDM/2019	51 tr 844 20/3/19	मूल आदेश मं / O.I.O. No. 48/JC/2012	दिनांक/ Date 30-04-2012
ख	अपील आदेश संख्या(Ord	ler-In-Appeal No.):		
	·		US-000-APP-039-2019	
	आदेश का दिनांक / Date of Order:	20.03.2019	जारी करने की तारीख /	20.03.2019
	_	•	Date of issue:	
	9	ायुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पा	•	
_		nar Santosh, Principal Comm		
4]	राजकोट / जामनगर / गां Arising out of above r Rajkot / Jamnagar / (ांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल mentioned OIO issued by Additio Gandhidham :	onal/Joint/Deputy/Assistant Commiss	
घ			ss of the Appellant &Respondent :- nder, Village- Padana, Gandhidh	
(A)	way. सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्प एवं वित्त अधिनियम, 199 Appeal to Customs	ाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्याया २४ की भारा 86 के अंतर्गत निमलिबित	उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपी u may file an appeal to the appr धिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । जगह की जा सकती है ।/ ellate Tribunal under Section 35B	अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंत
(i)	वर्गीकरण मुल्यांकन से स	 म्बन्धित सभी मामले सीमा शल्क, केन	द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्य	ायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं
	The special bench	ो, को की जानी चाहिए ।/ of Customs, Excise & Serv	vice Tax Appellate Tribunal of We	est Block No. 2, R.K. Puram, N
(ii)		s relating to classification a ने बताए गए अपीलों के अलावा शेष स	nd valuation. भी अपीलें सीमा शुल्क् केंद्रीय उत्पाद शुल्क ए	व सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट
()	पश्चिम क्षत्रीय पीठिका,,दि To the West region	देतीय तल, बहुमाली भवन असावी अह onal bench of Customs, F	मदावाद- ३८००१६कों की जानी चाहिए।/ xcise & Service Tax Appellate 16in case of appeals other than a	Tribunal (CESTAT) at. 2 nd Flo
(iii)	अपीलीय न्यायाधिकरण प्रपत्र EA-3 को चार प्रति जुर्माना, रुपए 5 लाख य अथवा 10,000/- रुपये रजिस्टार के नाम से किर्स शाखा में होना चाहिए ज निर्धारित शुल्क जमा करन	के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए वे रियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें ा उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाग का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संल गि भी सार्वजिनक क्षेत्र के वैंक द्वारा जा हां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण व ता होगा ।/	रुन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 200 से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद ख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए में अधिरित शुल्क का भुगतान, संबंधित री रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चा की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर)	01, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए शुल्क की माँग,ब्याज की माँग और लगाया ग हे हे तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रु अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहा हिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए
		;	filed in quadruplicate in form EA shall be accompanied against 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and abor strar of branch of any nominate tor bank of the place where the companied by a fee of Rs. 500/-	
(B)	प्रपत्र S.T5 में चार प्रा प्रमाणित होनी चाहिए) व कम,5 लाख रुपए ये निधारित जमा शुल्क की सावजिनक क्षेत्र के वैंक द्व संबंधित अपीलीय न्याया होगा।/	तया म की जा सकेगी एव उसके साथ और इनमें से कम से कम एक प्रति के स 0 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रु प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भु रारा जारी रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा धिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन उ	4 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमव जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उस् ाथ, जहां सेवाकर की मॉग,व्याज की मॉग औ पए से अधिक हे तो क्रमश: 1,000/- रुपये, गतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की श केया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुग गदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ	सकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्र रि लगाया गया जुर्माना,रुपए 5 लाख यो उ 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी तान, बंक की उस शाखा में होना चाहिए ज थ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा क
	The appeal under in quadruplicate i accompanied by a Rs. 5 Lakhs or les than five lakhs bi demanded & pena Assistant Registra situated. / Applica	sub section (1) of Section 8 in Form S.T.5 as prescribe a copy of the order appeale fees of Rs. 1000/- where the an ut not exceeding Rs. Fifty ity levied is more than fifty r of the bench of nominate ation made for grant of stay	6 of the Finance Act, 1994, to the d under Rule 9(1) of the Service ed against (one of which shall the the amount of service tax & inter jount of service tax & interest de Lakhs, Rs.10,000/- where the 'Lakhs rupees, in the form of er d Public Sector Bank of the plac shall be accompanied by a fee of the	e Appellate Tribunal Shall be fii e Tax Rules, 1994, and Shall be certified copy) and should rest demanded & penalty levied manded & penalty levied is mo amount of service tax & inter rossed bank draft in favour of t be where the bench of Tribunal Rs.500/

s

- -

,

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत नियोरित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उपके माथ आयुक्त, केन्द्रीय उराय शुक्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उराय शुक्क द्वारा गरित आदेश की प्रतियों संतप्र करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी वाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उराय शुक्क सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्वेश देन वाल आदेश की प्रति भी साथ में संतप्र करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. तीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ये सेवाकर अपीनीय प्राधिकरण (सेन्टर) के प्रति अपीलों के मामने में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिय मा944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गन सेवाकर को भी लाग् की गई है, इस आयेश के प्रति अतीलीय प्राधिकराज में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मानं के 10 प्रतिशत (10%), जब यांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का सुगातान किया जाए, वशर्द कि इस धारा के प्रतर्गत क्या हि जानं वाली अपेक्षित देय राशि यक्त को अपीली भादेश के दा अपीली देय का 'व के प्रति के जा की ने के वर्गत कम (i) सेनबेट जमा कि निर्च तक अंतर्गत देय रकम - क्याते यह कि इस धारा के प्रावधान सिति (* 2) अधिनिय म 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समझ विचाराधीन स्थान अर्जी एवं अपील को लागू नही होंगे/ For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act 1994, an appeal against this order shall li

(C)

(i)

(ii)

भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतक के अंतर्गतअवर मचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision condition lies to the View of the View of

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रनंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भुटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (111)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इम अधिनियम एवं इमके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा बित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा ममायाविधि पर या वाद में पारित किए गए है।7 Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

- उपरोक्त आबेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आबेदन के माथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। माथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals), Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. (v)
- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग में किया जाना चाहिये। इस तय्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)
- उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in. (G)



:: ORDER IN APPEAL ::

The present appeal has been filed by M/s. Ramdev Enterprise, Near Ramdev mainder, Village Padana, Gandhidham (*hereinafter referred to as* **"the appellant"**) against Order-In-Original No. 48/JC/2012 dated 30.04.2012 (*hereinafter referred to as* **"the impugned order"**), issued by the Joint Commissioner, Central Excise, Rajkot (*hereinafter referred to as* **"the adjudicating authority"**).

2. I find that the present appeal has been filed by the Appellant on 27.02.2019 whereas the impugned order issued on 30.04.2012, and shown to have been received on 30.04.2012 by the appellant in their in Appeal Memorandum, which clearly establishes that the appellant has filed this appeal causing delay of 2494 days i.e. more than six years.

3. I further find that the appeal has been filed beyond the stipulated period of Two months from the date of receipt of the impugned order. This appellate authority has, in terms of Section 85 of the Finance Act, 1994, power to condone delay in filing appeal maximum up to further One month, if prevented by sufficient cause. The present appeal has been filed beyond stipulated time limit of Three months provided under the statute and hence, I have no option but to dismiss this appeal on the ground of limitation of time without going into merits.

4. In view of above, I dismiss the present appeal filed by the appellant *in limine*.

अपीलकर्ता दवारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

5. The appeal filed by the appellant stands disposed off in above term.

सत्यापित. एन. मीणा अर्थापान (जपील्स)

20131209

प्रधान आयुक्त (अपील्स)

By Speed Post

10,		
M/s. Ramdev Enterprise,	मेससेर्स रामदेव एंटरप्राइज़,	
Near Ramdev mainder, Village Padana,	रामदेख मंदिर के पास,	
Gandhidham	गाँव- पड़ाना, गांधीधाम	

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1) प्रधान मुख्य आयुक्त वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेत्।

2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कच्छ आयुक्तालय, कच्छ को आगे आवश यक कार्यवाही हेत्।

3) उप / सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल - गांधीधाम, कच्छ।

4) गाई फाइल.

